जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 21.03.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल व अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 20.03.2024 को राहुल पुत्र करण निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर से मयूर तिराहा पर 02 अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये वादी से जानकारी कर घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल 02 लूटेरो को लूटे हुये मोबाइल फोन व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रवि उर्फ अमित पुत्र मदन निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

2.मोहित पुत्र सतपाल निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटा हुआ 01 मोबाईल फोन TECHNO कम्पनी।

2.अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.एक अवैध चाकू।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अमित पुत्र तेजपाल सिह निवासी ग्राम बहावडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तलवार बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.02.2024 को श्री रजत पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली के भाई रवि के साथ लव पुत्र सपट्टर निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना आदि व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी डण्डो से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 तलवार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त लव, कुश, नकुल को थाना कैराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिजवान पुत्र मेंहदी हसन उर्फ मेंहदा निवासी ग्राम अशरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त 01 तलवार।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 52/24 धारा 147/148/149/324/325/326/342/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम), थाना झिंझाना पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त चैकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 40 किलो ग्राम डोड़ा चूर्ण व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामदः-

आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम), थाना झिंझाना पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 40 किलो ग्राम डोडा चूर्ण व तस्करी में प्रयुक्त कार सहित बिडौली चेक पोस्ट से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुखविन्दर सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम लाठानवाला थाना सुल्तानपुर जनपद कपूरथला (पंजाब)।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा चूर्ण 40 किलो ग्राम।

2.तस्करी में प्रयुक्त ETIOS रजि0नं0 PB13BM7973 ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 01 हत्याभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो दिनांक 20.03.2019 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त चाँद पुत्र अजीज निवासी मौहल्ला करीमबख्श कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अयाज पुत्र इसरार खाँ निवासी मौहल्ला अमानत अली कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली कस्बा जलालाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 121/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर आलाकत्ल अवैध हथियार की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST कोर्ट कैराना शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त चाँद उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में 02 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.चाँद पुत्र अजीज निवासी मौहल्ला करीमबख्श कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते चोरी के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गयाः-

वर्ष 2022 में अभियुक्त विकास पुत्र कप्पन निवासी ग्राम खेड़ा हटाना थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरूद्ध मु0अ0सं0 77/2022 धारा 379,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 100/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01 दिवस कारावास का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. विकास पुत्र कप्पन निवासी ग्राम खेड़ा हटाना थाना बड़ौत जनपद बागपत।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI